न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00466

1. रतन लाल पुत्र नारायण
2. लक्ष्मण लाल पुत्र नारायण ।
3. रामस्वरूप पुत्र नारायण ।
4. मोहन पुत्र नारायण ।
5. दुर्गाशंकर पुत्र नाथू लाल
6. रामचरण आत्मज नाथूलाल
7. मुरली आत्मज भंवर लाल सभी जाति माली निवासीगण ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश कुमार आत्म्ज प्रेमचन्द ।
2. किशन कुमार आत्मज प्रेमचन्द जाति महाजन निवासीगण 140 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 459 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् खातेदार किशन कुमार ने एक मुख्तारनामा वादी कम 01 के पक्ष में इस बाबत् निष्पादित किया हुआ है कि कृषि भूमि बाबत् कोई भी विवाद होने पर वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने

काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण की मंशा उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर नाजायज कब्जा करने की रही है । सितम्बर, 2015 में वादीगण पारिवारिक कार्यों से कृषि भूमि की देखभाल करने व सार संभाल लेने नहीं जा सके इस परिस्थिति का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण ने नाजायज रूप से लाभ उठाने की मंशा से वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया । वादीगण ने थाना व तहसील तालेडा में भी कब्जा छुडवाने बाबत् आवेदन पेश किया परन्तु आज तक कब्जा नहीं संभलाया गया । प्रतिवादी वादीगण की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर मौके पर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा जब तक वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वादीगण को प्रतिवादीगण से बतौर मुआवजा 10,000/– रूपये वार्षिक के हिसाब से दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.11.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं उक्त भूमि पूर्णरूपेण आबादी से घिर चुकी है तथा आवासीय प्रेयाजनार्थ उपयोग में लायी जा रही है । उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के दादा से क्रय किया गया था और नियमानुसार उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज चले आ रहे हैं जिस पर अपीलान्ट द्वारा बाडा एवं मकानात आदि भी बना रखे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की न तो तनकीयात कायम की हैं और न ही प्रकरण में निर्णय तनकीवार पारित किया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादपत्र को बिना तनकी बनाये तथा तनकी बिना निर्णित किये निर्णित नहीं किया जा सकता। तहसीलदार बून्दी को भी पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार बून्दी आवश्यक पक्षकार है । उक्त भूमि वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ हो चुकी है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भी एक प्रमाण पत्र इस आशय का जारी किया गया है कि उक्त सम्पत्ति में वर्तमान में बाडे मकानात आदि बने हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8 अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के कब्जे की कृषि भूमि ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जिसका हाल खाता संख्या 225 खसरा नम्बर 459 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा है जिस पर अपीलान्ट लम्बे समय से काबिज चले आ रहे हैं । यह आराजी पूर्णरूप से आबादी से घिर चुकी है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जा रही है । अपीलान्ट के द्वारा इस आराजी को रेस्पोडेन्ट के दादा से क्रय किया था इसमें अपीलान्ट ने बाडा और मकान बना रखे हैं । रेस्पोडेन्टगण ने दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसे दिनांक 06.11.2019 को त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किया है । प्रस्तुत प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की हैं और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । तहसीलदार बून्दी को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया हे जो कि आवश्यक पक्षकार हैं । चूँकि आराजी आबादी के उपयोग में आ रही है इस कारण राजस्व न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार नहीं है । 50 वर्ष से अधिक समय से इस पर अपीलान्टगण का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट ने इस पर अतिकमण कर रखा है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली का दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया था उसके बाद साक्ष्य बन्द की गई थी । अपीलान्ट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 बहाल रखा जावे ।

10. दिनांक 09.12.2020 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 06.11.2019 की पालना दिनांक 04.12.2019 को हो गई है । इस कारण अपील निष्प्रभावी होने से खारिज की जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने तहसीलदार, तालेडा के पत्र दिनांक 07.01.2020 और मौका रिपोर्ट दिनांक 04.12.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की है ।

11. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

12. अभिभाषक प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि चूँकि पालना हो चुकी है और कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिया जा चुका है इसलिए अपील निष्प्रभावी हो गयी है ।

13. अप्रार्थी अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा निर्णय और डिक्री की अपील पेश की गई है जो इस प्रकार की पालना से निष्प्रभावी नहीं होती है । इस न्यायालय

.की प्रति रेस्पोडेन्ट के द्वारा अब तक पेश नहीं की गई है और अब पत्रावली निर्णय में आने के उपरान्त पेश की है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

14. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया रेस्पेडेन्ट का यह कथन है कि चूँकि डिक्री की पालना हो चुकी है इस कारण अपील निष्प्रभावी हो गयी है । हम रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि निर्णय और डिक्री की पालना हो जाने से अपील निष्प्रभावी नहीं होती है और दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इस प्रकरण में दिनांक 09.12.2019 को इस न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जा चुका था । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनाक 06.11.2019 का है और उसकी पालना एक माह की अवधि से भी कम समय के अन्दर दिनांक 04.12.2019 को किया जाना अंकित किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा बेदखली का पेश किया है जिसका जवाबदावा **अपीलान्टगण के द्वारा** दिनांक 20.11.2017 **को पेश किया गया है** जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या **22 व 23 पर संलग्न** है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीयात कायम की हैं और न ही निर्णय तनकीवार पारित किया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । दिनांक 27.09.2019 को वादी की साक्ष्य बन्द की गई है और उसी दिन प्रतिवादी की भी साक्ष्य बन्दी की गई है । प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 14.10.2019 को साक्ष्य का अवसर देने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है और सीधे ही बहस सुनकर दावे का निर्णय पारित किया गया है । दस्तावेजात जो पत्रावली पर संलग्न हैं वे फोटो प्रतियॉ हैं और दस्तावेजात को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है । वादी के बयान भी नहीं करवाये गये हैं । इस प्रकार सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

16. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2020 को पेश किया जिसमें यह कथन किया है कि दिनांक 08.08.2019 की आदेशिका के अनुसार मौका रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो पत्रावली पर नहीं है । अतः तलब की जावे ।

17. इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई और दिनांक 08.08.2019 की आदेशिका का अवलोकन किया गया । दिनांक 08.08.2019 की आदेशिका के अनुसार तहसीलदार तालेडा ने रिपोर्ट पेश की है कि दोनों पक्षकारों के मध्य विवादित होने से जवाब /मौका रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है । तद्नुसार तहसील तालेडा के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट पेश नहीं की गई है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 06.11.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 11.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा